अध्याय 3
कर का उद्ग्रहण और संग्रहण

धारा 5 : कर का उद्ग्रहण और संग्रहण

(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 15 के अधीन अवधारित मूल्य पर मानव उपभोग के लिए मद्यसारिक पान [1][और विकृत अतिरिक्त निष्प्रभावी एल्कोहल या परिशोधित स्पिरिट, जो मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहाली लिकर के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त किया जाता है,] की पूर्ति के सिवाय माल या सेवा या दोनों की समस्त अंतरराज्यिक पूर्तियों पर एकीकृत माल और सेवा कर नामक कर उद्ग्रहीत किया जाएगा और जो चालीस प्रतिशत से अनधिक की ऐसी दर पर होगा, जो परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए और उसे ऐसी रीति में संगृहीत किया जाएगा, जो विहित की जाए और उसे कराधेय व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जाएगा :

परन्तु [2][, परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित से भिन्न] भारत में आयातित माल पर एकीकृत कर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के उपबन्धों के अनुसार उक्त अधिनियम के अधीन यथा अवधारित मूल्य पर उस बिन्दु पर उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा, जब सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 12 के अधीन उक्त माल पर सीमाशुल्क उद्गृहीत किया जाता है।

(2) अपरिष्कृत पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्प्रिट (सामान्यतया पेट्रोल के रूप में ज्ञात), प्राकृतिक गैस और विमान टर्बाइन ईंधन की पूर्ति पर एकीकृत कर ऐसी तारीख से उद्गृहीत किया जाएगा, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए।

(3) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के ऐसे प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिस पर कर ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिलोम प्रभार आधार पर संदत्त किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबन्ध ऐसे प्राप्तिकर्ता पर इस प्रकार लागू होंगे, मानों वह ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के सम्बन्ध में कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति हो।

[3][(4) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो अरजिस्ट्रीकृत पूर्तिकर्ता से प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के

---

1 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।

2 एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2023–एकीकृत कर, दिनांक 29.09.2023 द्वारा इसको दिनांक 01.10.2023 से प्रभावशील किया गया।

3 उपधारा (4) एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 32) द्वारा प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2019–एकीकृत कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थी :

"(4) कराधेय माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के सम्बन्ध में एकीकृत कर ऐसे पूर्तिकार द्वारा, जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास रजिस्ट्रीकृत नहीं है, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिलोम प्रभार आधार पर प्राप्तिकर्ता के रूप में संदत्त किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबन्ध ऐसे प्राप्तिकर्ता पर इस प्रकार लागू होंगे, मानों वह ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के सम्बन्ध में कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति हो।"

विनिर्दिष्ट प्रवर्गों की पूर्ति की बाबत्, माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति के प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रतिलोम प्रभार आधार पर कर का संदाय करेगा और इस अधिनियम के सभी उपबन्ध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति हो।]

(5) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा सेवाओं के प्रवर्ग, अंतरराज्यिक पूर्ति पर कर विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो इलेक्ट्रानिक वाणिज्यि आपरेटर द्वारा संदत्त किया जाएगा, यदि ऐसी सेवा की पूर्ति उसके माध्यम से की जाती है और इस अधिनियम के सभी उपबन्ध ऐसे इलेक्ट्रानिक वाणिज्य आपरेटर पर इस प्रकार लागू होंगे, मानों वह ऐसी सेवाओं की पूर्ति के सम्बन्ध में कर का संदाय करने के लिए दायी पूर्तिकार हो :

परन्तु जहां कोई इलेक्ट्रानिक वाणिज्य आपरेटर कराधेय राज्यक्षेत्र में स्वयं उपस्थित नहीं है, वहां कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी भी प्रयोजन के लिए ऐसे इलेक्ट्रानिक वाणिज्यि आपरेटर का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी व्यक्ति कर का संदाय करने के लिए दायी होगा :

परन्तु यह और कि जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्य आपरेटर कराधेय राज्यक्षेत्र में स्वयं उपस्थित नहीं है और उक्त राज्यक्षेत्र में उसका कोई प्रतिनिधि भी नहीं है, वहां ऐसा इलेक्ट्रानिक वाणिज्य ऑपरेटर कर का संदाय करने के प्रयोजन के लिए दायी होगा, कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा और ऐसा व्यक्ति कर का संदाय करने के लिए दायी होगा।